रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2012/पौष 15, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 239

No. 1] DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2012/PAUSA 15, 1933 [N.C.T.D. No. 239

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 5 जनवरी, 2012

सं. फा. 7/(13)/रा.स्थ./स.र./जी.ए./97/पी. एफ.-II/24.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 452 दिनांक 5-10-2011 के संदर्भ में श्री जयपाल यादव, ग्रेड-1 (दास) ने दिनांक 3-11-2011 (पूर्वाह्न) को तहसीलदार (पहाड़ गंज) जिला-मध्य का कार्यभार संभाल लिया है। अत :—

सं. 7/(13)/रा.स्थ./स.र./97(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं. 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जयपाल यादव, ग्रेड-1 (दास) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. 7/(13)/रा.स्थ./स.र./97(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जयपाल यादव ग्रेड-1 (दास) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. 7/(13)/रा.स्थ./स.र./97(iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखण्डन रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री जयपाल यादव, ग्रेड-1 (दास) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं. 7/(13)/रा.स्थ./स.र./97(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 12), की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री जयपाल यादव, ग्रेड-1 (दास) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 5th January, 2012

F. No. 7(13)/Rev. Estt./SR/GA/97/PF-II/24.—In pursuance of Services Department's Order No. 452 dated 5-10-2011, Sh. Jaipal Yadav, Grade-I (DASS) has joined as

Tehsilder (Pahar Ganj), District Central on 3-11-2011 (F/N), Now, therefore,

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(i).—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Jaipal Yadav, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(ii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Jaipal Yadav, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(iii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Jaipal Yadav, Grade-I (DASS) as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, till such time as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(iv).—In exercise of the powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Jaipal Yadav, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whicever is earlier.

सं. फा. 11/(11)/रा.स्था./स.र./99/पार्ट फाइल-II/25.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 477 दिनांक 27-10-2011 तथा जिला पूर्व, राजस्व विभाग के आदेश सं. 2323-2330 दिनांक 2-11-2011 के संदर्भ में श्री बंस राज राम (दानिक्स) ने दिनांक 3-11-2011 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (मध्य जिला), जिला मध्य, दिल्ली का कार्यभार सम्भाल लिया है। अत :—

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री बंस राज राम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री बंस राज राम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथाविस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 108 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री बंस राज राम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री बंस राज राम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री बंस राज राम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखण्डन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री बंस राज राम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21 (4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
कुलदीप सिंह गंगर, अति. सचिव

F. No. 11(11)/Rev. Estt./SR/99/Pt-file-II/25.—In pursuance of Services Department's Order No. 477 dated 27-10-2011 and relieving from District East *vide* Order No. 2323-2330, dated 2-11-2011, Sh. Bans Raj Ram (DANICS) has joined as Additional District Magistrate (Central) on 3-11-2011. Now, therefore,

1. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Bans Raj Ram, DANICS as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates him the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

2. In exercise of the powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Sh. Bans Raj Ram, DANICS, to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

3. In exercise of the powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Bans Raj Ram, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

4. In exercise of the powers conferred by Section 27(1)(a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Bans Raj Ram, DANICS the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

5. In exercise of the powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Bans Raj Ram, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

6. In exercise of the powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Bans Raj Ram, DANICS as appellate authority and delegates him the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अध्यादेश

दिल्ली, 5 जनवरी, 2012

इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

फा. सं. आईआईआईटीडी/अध्यादेश/67/2011/07.—इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 24 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 18 की उप-धारा (2) (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं प्रथम परिनियम के खण्ड 16 के उप-खण्ड (3) के अनुसार निदेशक अध्यक्ष गवर्नर मण्डल के पूर्व अनुमोदन से इसके द्वारा अध्यापकों और अकादमिक स्टाफ के चयन के लिये उनकी वेतन संरचना परिलब्धियां उनके रोजगार की अन्य शर्तें निम्नप्रकार हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इस अध्यादेश को आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) — दिल्ली "प्रथम अध्यादेश" कहा जा सकेगा।

(2) वे दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं.—इस अध्यादेश में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियों का तब तक अधिनियम एवं परिनियमों में उन्हें सौंपे गए अर्थ होंगे, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों। वाक्यांश 'अध्यापक एवं अकादमिक स्टाफ' या संस्थान के अध्यापक का अर्थ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता।

3. अध्यापकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति.—(1) अध्यापकों एवं अकादमिक स्टाफ के लिये आवेदन-पत्र विश्वभर से आमंत्रित किये जाएंगे और इन पदों का भलीभांति प्रकार से विज्ञाप्ति किया जाएगा।

(2) अध्यापकों एवं अकादमिक स्टाफ के चयन समितियां परिनियम 16 के अनुसार गठित की जाएंगी। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न चयन समितियां हो सकेंगी।

(3) इस प्रकार गठित कोई चयन समिति तब तक वैध रहेगी जब तक नई समिति नहीं बनती है। जब प्रभावी हो तब चयन समिति अनेक बार बैठक कर सकती है।

(4) किसी चयन समिति के सदस्य परिनियम के खण्ड 16 के उप-खण्ड (2) में उल्लिखित के अनुसार होंगे और किसी चयन समिति की गणपूर्ति परिनियम के खण्ड 16 के उप-खण्ड (2) (V) में उल्लिखित के अनुसार होगी।

(5) किसी बैठक के लिये किसी सदस्य की अनुपलब्धता की स्थिति में चयन समिति का अध्यक्ष परिनियम के खण्ड 16 के उप-खण्ड 2 (IV) के अन्तर्गत सीनेट या अध्यक्ष, गवर्नरों का बोर्ड की अनुमति से किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा अनुमोदित पेनल में से किसी विशेषज्ञ द्वारा उस बैठक के लिये उस सदस्य का स्थान ले सकता है।

(6) अध्यापकों एवं अकादमिक स्टाफ के लिये न्यूनतम पात्रता मानदण्ड मोटे रूप से आईआईटी के समान होगा। तथापि

चयन समिति ख्याति प्राप्त संस्थाओं से पी.एच.डी. प्रत्याशियों के लिये सहायक प्राध्यापक के लिये अनुभव अपेक्षा को समाप्त कर सकती है और प्रत्याशी के उल्लेखनीय अभिलेख पर आधारित अन्य स्तरों के लिये न्यूनतम को शिथिल कर सकती है ।

(7) प्रत्याशियों के लिये कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया होगी, जो चयन समिति की बैठक के समक्ष किसी पद के लिये न्यूनतम पात्रता मानदण्ड को संतुष्ट करती हो । स्क्रीनिंग प्रक्रिया द्वारा अनुमोदित प्रत्याशी चयन समिति के समक्ष उपस्थित होंगे ।

(8) चयन समिति में उपस्थित सभी प्रत्याशियों के लिये उनके सी वी सहित कम से कम दो सन्दर्भ पत्र समिति के समक्ष रखे जाएंगे ।

(9) कोई चयन समिति आमने-सामने परस्पर वार्तालाप, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, टेलि कान्फ्रेंसिंग या किसी अन्य साधन माध्यम से जांचे गए प्रत्याशियों से परस्पर बातचीत कर सकती है ।

(10) चयन समिति के सदस्य टेलि उपस्थिति वीडियो कान्फ्रेंसिंग आडियो कान्फ्रेंसिंग जैसे वैकल्पिक साधनों आदि के माध्यम से चयन समिति में सम्मिलित हो सकते हैं ।

(11) किसी नियुक्ति की संस्तुति करते समय चयन समिति अतिरिक्त वेतनवृद्धियां और अतिरिक्त वैयक्तिक वेतन का प्रतिशत जो प्रत्याशियों को दिये जा सकेंगे, बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कर सकेगी ।

(12) कोई चयन समिति सीमित कार्यकाल के पदों के लिये भी प्रत्याशियों पर विचार कर सकेगी । चयन समिति इस प्रकार की नियुक्ति के लिये संस्तुति करते समय, जिस स्तर पर व्यक्ति को लगाया जा सकता है और संविदा के कार्यकाल सहित सम्बद्ध सेवा शर्तें ।

(13) किसी चयन समिति की संस्तुतियां अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर के समक्ष नियुक्ति प्रस्ताव देने से पूर्व विचारार्थ/स्वीकृति हेतु रखी जाएगी । अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन मिलने के उपरांत यह आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ।

4. वेतन और अन्य लाभ.—(1) अध्यापकों और अकादमिक स्टाफ के वेतनमान मोटे रूप में आईआईआईटी के समान होंगे, जिसमें मूल वेतन, ग्रेड वेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादि अतिरिक्त वैयक्तिक वेतन बोर्ड द्वारा निश्चित मानकों के अनुसार वेतन का कुछ प्रतिशत दिया जा सकता है ।

(2) इस वेतनमान में वेतनवृद्धियों की राशि बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कार्यप्रदर्शन से जुड़ी हो सकेगी ।

(3) अध्यापकों और अकादमिक स्टाफ के लिये अन्य लाभ, जिसमें टेलिफोन पुनर्भुगतान, स्वास्थ्य लाभ, परिवहन भत्ता, पुनःस्थापन भत्ता, व्यावसायिक गतिविधियों के लिये सहयोग, जिसमें यात्रा आदि बोर्ड द्वारा निश्चित मानकों के अनुसार होंगे ।

(4) अतिरिक्त वैयक्तिक क्षतिपूर्ति फेलोशिप, चेयर आदि से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो संस्थान द्वारा जुटाए संसाधनों बचत, समग्र निधि, दान बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जुटाई जाएगी ।

(5) अध्यापकों एवं अकादमिक स्टाफ सदस्यों को या तो परिसर के भीतर या परिसर के बाहर पट्टे पर उपयुक्त आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा । यदि ऐसा कोई अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाता है या सदस्य अपने प्रबन्ध करना चाहता है तो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार आवास किराया भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

(6) भारत तथा आईआईटीडी सहित किसी संगठन से उसकी पत्नी/पति क्या प्राप्त करती है/करता है, इसका ध्यान रखे बिना कोई कर्मचारी आवास संबंधी लाभ प्राप्त करने का हकदार है । इस संबंध में केवल एक आवास आईआईआईटीडी देगा शर्त यह है कि पति/पत्नी को पट्टे पर आवास, जिसके लिए बोर्ड नीति बाद में बनायेगा ।

5. अतिथि/सहायक संकाय.—(1) अतिथि/सहायक संकाय सदस्य किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त किये जा सकेंगे और यह नियमित अध्यापन और अकादमिक स्टाफ का भाग नहीं बनेगा ।

(2) कोई अतिथि/सहायक संकाय सदस्य पाठ्यक्रम पढ़ा सकता है या पाठ्यक्रमों में व्याख्यान दे सकता है, परियोजनाओं में भाग ले सकता है, बी टेक/मास्टर थेसिस, पी.एच.डी. थीसिस का मार्गदर्शन कर सकता है और सामान्यतः अधिकतर अकादमिक कार्य कर सकता है, जो कोई नियमित संकाय सदस्य कार्य कर सकता है ।

(3) उस अतिथि/सहायक संकाय का चयन किसी स्थाई समिति द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, जो निदेशक द्वारा गठित की जाएगी । परिनियम 16 में यथानिर्धारित चयन समिति विजटिंग सहायक संकाय की नियुक्तियों पर लागू नहीं होगी ।

(4) स्थाई समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे जिसमें निदेशक, कम से कम एक संकायाध्यक्ष (यदि उपस्थित) है, और संस्थान का कम से कम एक संकाय सदस्य होगा । जब तक संस्थान में पर्याप्त वरिष्ठ संकाय सदस्य न हो तब तक अन्य संस्थानों से संकाय सदस्य या सीनेट के सदस्य इस समिति में नामांकित किए जा सकेंगे ।

(5) स्थाई समिति अपना निर्णय करने के लिये अपने सी वी तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी पर आधारित प्रत्याशियों पर विचार करेगी ।

(6) स्थाई समिति द्वारा इस अनुमोदन के उपरांत प्रत्याशी को नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा ।

(7) ऐसे सभी प्रस्ताव एवं नियुक्तियां बोर्ड को सूचित किए जाएंगे ।

(8) ये नियुक्तियां सीमित अवधि के लिये होंगी, ये तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी और अधिक से अधिक एक बार नवीनीकृत हो सकेंगी ।

(9) विजटिंग/सहायक सदस्यों को उनके नियुक्ति पत्र में उल्लिखित लाभों को छोड़कर स्टाफ के विशेषधिकारों, सेवा का बने रहने या अन्य लाभों के सम्बन्ध में संस्थान से किसी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

6. अतिथि संकाय की नियुक्ति.—(1) कोई अतिथि संकाय सामान्यतः किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला कोई व्यक्ति है, जो

कहीं और कार्यरत है और जिसको किसी पाठ्यक्रम पढ़ाने जैसे किसी विशेष प्रयोजन के लिये संस्थान द्वारा कोई संविदा दी गई है और जिसके लिए संस्थान मानदेय उपलब्ध कराता है ।

(2) निदेशक संस्थान की आवश्यकताओं पर आधारित संकाय और संस्थान में उपयुक्त संकाय सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करने के उपरांत अतिथि संकाय नियुक्त करेगा । अतिथि संकाय को भुगतान बोर्ड के अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान द्वारा निश्चित मानकों के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

7.1 बी. टेक कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश.—सामान्य— (1) किसी बी टेक कार्यक्रम की मूलभूत संरचना और दर्शन शास्त्र बी. टेक कार्यक्रम के लिये विनियमों में परिभाषित है और वर्तमान बी. टेक कार्यक्रमों पर लागू होते हैं और कोई बी टेक कार्यक्रम जो भविष्य में प्रारम्भ हो सकेगा । तथापि किसी कार्यक्रम की अतिरिक्त अपेक्षाएं हो सकती हैं, जो उस कार्यक्रम के विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) सीनेट सभी अकादमिक विषयों के लिये मुख्य निकाय है और इस में कुछ भी रहते हुए जो विनियमों में उल्लिखित है । सीनेट को समय-समय पर किसी विनियम को आशोधित/शिथिल करने का अधिकार है ।

7.2 अकादमिक कैलेण्डर.—(1) प्रत्येक अकादमिक वर्ष में दो नियमित सेमस्टर और एक ग्रीष्म काल होंगे । सेमस्टर समय-सीमा संस्थान के अकादमिक कैलेण्डर में परिभाषित होगी ।

7.3 प्रवेश.—(1) बी. टेक कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा/परीक्षाओं से होता है, जो संस्थान या किसी अन्य अनुमोदित निकाय द्वारा संचालित हो सकता है । प्रवेश परीक्षा/परीक्षाओं में भाग लेने के लिये पात्रता मानदण्ड, प्रवेश परीक्षा/परीक्षाओं प्रदर्शन को दिये गए महत्व और अन्य मानक, प्रवेश के मानदण्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा अनुमोदित होंगे और प्रत्येक वर्ष की प्रवेश विवरणिका में उल्लिखित होंगे ।

(2) संस्थान के किसी अनुमोदित कार्यक्रम में किए जाने वाले प्रवेशों की संख्या बोर्ड ऑफ गवर्नरों द्वारा यथा-निर्मित होगी और प्रत्येक वर्ष की विवरणिका में उल्लिखित होगी । इसके लिए सीनेट से निवेश की मांग करेगा ।

(3) आरक्षण नीति बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा निर्मित होगी और प्रत्येक वर्ष की प्रवेश विवरणिका में उल्लिखित होगी ।

(4) संस्थान के किसी कार्यक्रम में अस्थाई रूप से या अन्यथा रूप से दाखिल प्रत्येक विद्यार्थी निर्धारित तिथि, अर्हक डिग्री/अस्थाई प्रमाण-पत्र और सीनेट द्वारा यथा-निर्धारित अन्य ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा ।

(5) किसी विद्यार्थी का प्रवेश, कार्यक्रम के दौरान किसी भी समय सीनेट द्वारा रद्द किया जा सकेगा यदि यह पाया जाता है कि विद्यार्थी ने प्रवेश लेते समय कोई झूठी जानकारी दी थी या सम्बद्ध जानकारी छिपाई है ।

(6) प्रवेश के लिये चिर-प्रचलित प्रगतिशील नीतियां, विनियम बोर्ड द्वारा अनुमोदित होंगे ।

(7) दाखिल विद्यार्थियों का शुल्क बोर्ड ऑफ गवर्नरों द्वारा यथा-निर्णीत होगा ।

41 ड्स/12-2

7.4 अध्यापन एवं मूल्यांकन.—(1) विदेशी/स्थानीय भाषाओं सम्बन्धी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा ।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम [illegible] अथवा अध्यापन सहायक की सहायता से नियत प्रशिक्षक द्वारा कराया जाता है । व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रयोगशाला [illegible] का आयोजन विद्यार्थियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं सेमेस्टर/ग्रीष्मकाल की समाप्ति पर ग्रेड प्रदान किये जाने के प्रति उत्तरदायी है ।

(3) मूल्यांकन की पद्धति लागू होती है, जिसमें किसी पाठ्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रलेख/साधन जैसे—परीक्षण, परीक्षाएं, नियत कार्य, परियोजनाएं विद्यार्थियों के शिक्षण/पढ़ाई का मूल्यांकन करने के लिए दिए जाते हैं । सभी प्रकार के मूल्यांकन करना पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक के दायित्व हैं ।

(4) पाठ्यक्रम सम्बन्धी समूचे कार्य प्रदर्शन पर आधारित पाठ्यक्रम के अन्त में प्रशिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पत्र ग्रेड दिया जाता है । प्रत्येक पत्र ग्रेड में कुछ बिन्दु होते हैं । ये सेमेस्टर/समग्र कार्यप्रदर्शन की गणना में प्रयुक्त होते हैं ।

(5) एक बार प्रदान किए गए किसी पत्र ग्रेड को तब तक परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक द्वारा अनुरोध नहीं किया जाता है और सीनेट द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है ।

7.5 कार्यक्रम की अनवरता.—(1) बी. टेक कार्यक्रमों के लिये दाखिल विद्यार्थी सामान्यत: प्रारम्भ में उन्हें आबंटित कार्यक्रम का अध्ययन करेंगे । तथापि सीनेट विद्यार्थियों की सीमित संख्या के लिये कार्यक्रम के परिवर्तन की अनुमति दे सकती है जिसके लिये वह उपयुक्त विनियम/दिशा-निदेशों का उल्लेख करेगा ।

(2) अण्डर ग्रेजुएट कार्यक्रम में शिक्षा जारी करने के लिये विद्यार्थी को संतोषजनक अकादमिक प्रदर्शन दर्शाना होता है जैसा समय-समय पर सीनेट द्वारा यथा-परिभाषित है । यदि अकादमिक कार्यप्रदर्शन कम पड़ता है, तो किसी विद्यार्थी को वर्ष दोहराने के लिये कहा जा सकता है, उसे चेतावनी दी जाए परिवीक्षाधीन रखा अथवा उसका कार्यक्रम रद्द किया जा सकेगा ।

7.6 स्नातक उपाधि प्राप्त करने सम्बन्धी अपेक्षाएं और उपाधियां प्रदान करना.—(1) कोई विद्यार्थी सीनेट द्वारा निर्धारित सभी अकादमिक एवं गैर-अकादमिक अपेक्षाएं और जैसा विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट है पूरी करने के उपरांत बी. टेक की डिग्री पाने के लिये योग्य बन जाता है ।

(2) बी. टेक कार्यक्रम की सामान्य अवधि चार वर्ष होगी (आठ सेमस्टर) जिसमें विद्यार्थी से सफलतापूर्वक पूर्ण करने/विनिर्दिष्ट अंक अर्जित करने की आशा की जाती है । कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम को पूरा करता है/क्रेडिट प्राप्त करता है यदि वह पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत है और उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त करता है ।

(3) किसी बी. टेक पाठ्यक्रम में भर्ती/दाखिल कोई विद्यार्थी ऑनर्स सहित ग्रेजुएट हो सकता है शर्त यह है कि विद्यार्थी ऑनर्स के लिए सभी अतिरिक्त अपेक्षाएं पूरी करता है जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट है ।

(4) जो विद्यार्थी स्नातक सम्बन्धी सभी अपेक्षाएं पूरी करता है, उस विद्यार्थी को दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान करने के लिये सीनेट द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नरों को संस्तुति की जाती है।

(5) विशेष परिस्थितियों के अधीन जहां स्नातक करने सम्बन्धी गंभीर उल्लंघन होता है या बेइमानी के साधनों का प्रयोग सम्बन्धी बाद की अवस्था में पता चलता है तो सीनेट पहले प्रदान की गई डिग्री के लिये बोर्ड ऑफ गवर्नरों को संस्तुति कर सकता है।

8.1 एम.टेक/पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिये अध्यादेश.—सामान्य—(1) एम.टेक/पी.एच.डी. कार्यक्रमों की मौलिक संरचना एवं दर्शन शास्त्र एम.टेक/पी.एच.डी. कार्यक्रमों के लिये विनियमों में परिभाषित है और वर्तमान एम.टेक/पी.एच.डी. कार्यक्रमों के लिये लागू होते हैं और कोई एम.टेक/पी.एच.डी. कार्यक्रम भविष्य में प्रारम्भ किये जा सकते हैं तथापित किसी कार्यक्रम की अतिरिक्त अपेक्षाएं हो सकती हैं जो उस कार्यक्रम के लिये विनियमों में विनिर्दिष्ट होंगे।

(2) एम.टेक/पी.एच.डी. कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी अकादमिक विषयों के लिये सीनेट मुख्य निकाय है और इसमें कुछ भी रहते हुए जो विनियमों में उल्लिखित किये गये हैं, सीनेट को समय-समय पर किसी विनियमों को आशोधित करने/शिथिल करने का अधिकार है।

8.2 अकादमिक कैलेण्डर.—(1) बी.टेक कार्यक्रम के लिये अध्यादेशों में यथा-विनिर्दिष्ट।

8.3 प्रवेश.—(1) एम.टेक/पी.एच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश की पद्धति सीनेट द्वारा निर्णीत की जाएगी और प्रत्येक वर्ष के लिये घोषित।

(2) संस्थान के किसी अनुमोदित कार्यक्रम के लिये प्रवेश की जाने वाली संख्या बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा यथा-निर्णीत होगी और प्रतिवर्ष घोषित की जाती है। बोर्ड सीनेट उसके लिये सीनेट से निवेश मांग सकता है।

(3) आरक्षण नीति बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा निर्णीत की जाएगी और प्रतिवर्ष घोषित की जाएगी।

(4) संस्थान के किसी कार्यक्रम में अस्थाई रूप से या अन्यथा दाखिल प्रत्येक विद्यार्थी नियत तिथि तक अर्हक उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र की प्रतियां और सीनेट द्वारा यथा-निर्धारित अन्य ऐसे प्रलेख जमा करेगा।

(5) किसी विद्यार्थी का प्रवेश बाद की किसी तिथि तक सीनेट द्वारा रद्द किया जा सकेगा यदि यह पाया जाता है कि प्रवेश पाते समय विद्यार्थी ने कुछ झूठी जानकारी दी है या सम्बन्धित जानकारी छिपाई है।

(6) प्रवेश पाए विद्यार्थियों के लिए शुल्क बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा यथा-निर्णीत होगा।

8.4 वित्तीय सहायता.—(1) ऐसिटेण्टशिप/छात्रवृत्तियां/फेलोशिप की कुछेक संख्या पी.एच.डी.एम.टेक विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

8.5 अध्यापन एवं मूल्यांकन.—(1) बी.टेक कार्यक्रमों के लिये अध्यादेशों में यथा-परिभाषित।

8.6 [illegible] कार्यक्रम.—(1) किसी कार्यक्रम को जारी रखने के लिये विद्यार्थी का संतोषजनक अकादमिक कार्यप्रदर्शन दर्शाना है जैसा समय-समय पर सीनेट द्वारा यथा-परिभाषित है। यदि अकादमिक कार्यप्रदर्शन कम होता है, तो विद्यार्थी को चेतावनी दी जा सकेगी [illegible] छात्रवृत्ति/फेलोशिप [illegible] की जा सकेगी/कम की जा सकेगी या उसका कार्यक्रम समाप्त किया जा सकता है।

(2) कोई विद्यार्थी एक कार्यक्रम से अन्य कार्यक्रम में परिवर्तित कर सकता है जैसा विनियमों द्वारा उपबन्धित है।

8.7 अवकाश.—(1) विभिन्न प्रकार के अवकाश और उन्हें लेने के लिए नियम विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

8.8 सहयोगात्मक/संयुक्त कार्यक्रम.—(1) संयुक्त/सहयोगात्कम कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये नियम एवं दिशा-निदेश सीनेट द्वारा यथा-परिभाषित होंगे।

8.9 स्नातक बनने के लिये अपेक्षाएं और उपाधियां प्रदान करना.—(1) कोई विद्यार्थी सीनेट द्वारा निर्धारित सभी अकादमिक एवं गैर-अकादमिक अपेक्षाएं पूरी करने के उपरांत एम.टेक/पी.एच.डी. उपाधि पाने का हकदार बन सकता है।

(2) जो विद्यार्थी स्नातक सम्बन्धी सभी अपेक्षाएं पूरी करता है, उस विद्यार्थी को दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान करने के लिये सीनेट द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नरों को संस्तुति दी जाती है।

(3) विशेष परिस्थितियों के अधीन जहां स्नातक करने सम्बन्धी गंभीर उल्लंघन होता है या बेइमानी के साधनों का प्रयोग सम्बन्धी बाद की अवस्था में पता चलता है तो सीनेट पहले प्रदान की गई डिग्री के लिये बोर्ड ऑफ गवर्नरों को संस्तुति कर सकता है।

मंजीत राय अरोड़ा, अतिरिक्त सचिव (टी.टी.ई.)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

ORDINANCES

Delhi, the 5th January, 2012

INDRAPRASTHA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY

F. No. IIITD/Ordinances/57/2011/07.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(d) of Section 18 read with sub-section (2) of Section 24 of the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology) Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), and in accordance with sub-clause (3) of clause 16 of the First Statutes, the Director with the prior approval of the Board of Governors, hereby makes the Ordinance [First Ordinance] for selection of "Teachers and Academic Staff", their salary structure, emoluments, and other terms and conditions of their employment as following, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These Ordinance may be called the IIIT (Indraprashta Institute of Information and Technology)-Delhi "First Ordinance".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definitions.—Words and expressions used in this Ordinance shall have the meaning assigned to them in the Act and the Statutes, unless the context otherwise requires. The terms "Teachers and Academic Staff" or "Institute Teachers" mean Professors, Associate Professors, Assistant Professors and Lecturers.

3. Appointment of Teachers and Academic Staff.—(1) Application for Teachers and Academic Staff shall be invited from across the world, and these positions shall be suitably advertised.

(2) Selection Committees for selecting the Teachers and Academic Staff shall be constituted in accordance with the Statute 16. Different selection committees may be constituted for different areas.

(3) A Selection Committee thus constituted will remain valid till a new committee is formed. While in effect, a selection committee may meet any number of times.

(4) Members of a Selection Committee will be such as given in sub-clause (2) of clause 16 of the Statutes, and the Quorum of a Selection Committee shall be as given in sub-clause (2)(V) of clause 16 of the Statute.

(5) In case of non-availability of some member for a meeting, the Chairman of the Selection Committee may replace the member, for that meeting, by an expert from the panel approved by the Senate under sub-clause (2)(IV) of clause 16 of the Statute, or by any other expert with the permission of the Chairman, Board of Governors.

(6) The minimum eligibility criteria for the Teachers and Academic Staff shall be broadly the same as IITs. The Selection Committee may, however, waive the experience requirement for Assistant Professors for Candidates with PhD from Institute of repute, and may relax the minimum for other levels, based on the track record of the candidate.

(7) There shall be a screening process for the candidates who satisfy the minimum eligibility criteria for a post before the meeting of the Selection Committee. The candidates approved by the screening process will be presemted before the Selection Committee.

(8) For all candidates presented to the Selection Committee, besides their CV, at least two letters of reference will be placed before the committee.

(9) A Selection Committee may interact with the screened candidates through face-to-face interaction, video conferencing tele-conferencing, or any other means as it finds suitable. The Selection Committee may consider a candidate, particularly for senior positions, in absentia also.

(10) The members of the Selection Committee may join the Selection Committee meeting through alternative means like tele-presence, video conferencing, audio conferencing etc.

(11) A Selection Committee, while recommending an appointment, may also suggest additional increments and percentage of extra personal pay, within the limits prescribed by the Board, that the candidates may be offered.

(12) A Selection Committee may also consider candidates for limited-term-contracts positions. The Selection Committee, while recommending appointment to such limited-term-contract position, may specify the level at which the person may be placed and the corresponding terms and conditions including the duration of the contract.

(13) The recommendations of a Selection Committee shall be placed before the Chairman, Board of Governors for consideration/acceptance before offer of appointment is given. After approval by the Chairman, the same will be placed before the Board in the next meeting.

4. Salary and Other Benefits.—(1) The salary scale for Teachers and Academic Staff shall be broadly the same as in IIT Delhi, including basic pay, grade pay, dearness allowance, etc. Additional personal pay up to some percentage of the salary may be provided as per norms fixed by the Board.

(2) The quantum of increments in this scale may be performance-linked, as specified by the Board.

(3) Other benefits to Teachers and Academic Staff including telephone reimbursement, health cover, transport allowance, moving/relocation allowance, support for professional activities including travel, etc. shall be as per norms fixed by the Board.

(4) Additional personal compensation may be provided through fellowships, chairs, etc. which are set up from resources raised by the Institute through savings, corpus, donations etc., as per guidelines decided by the Board of Governors.

(5) Teachers and Academic Staff members may be provided suitable housing either within the campus or by leasing suitable accommodation off campus. In case no such housing is provided, or the member wishes to make his own arrangements, HRA will be paid as per norms specified by the Board.

(6) An employee will get all the benefits he/she is entitled from the Institute, irrespective of what his/her spouse gets from any organization including Government, and IIIT-D. The only exception to this is the IIIT-D provided/ leased accommodation to the spouse, for which the Board will build a policy later.

5. Appointment of Visiting/Adjunct Faculty.—(1) Visiting/Adjunct faculty members may be appointed for a specified period and it will not form part of the regular Teaching and Academic Staff.

(2) A Visiting/Adjunct faculty member may teach courses or give lectures in courses, participate in projects,

41 D9/12-3

guide B.Tech/Masters thesis, PhD thesis, and generally perform most of the academic tasks that a regular faculty member can perform.

(3) The selection of Visiting/Adjunct Faculty will be processed by a Standing Committee, which shall be constituted by the Director. The Selection Committees as prescribed in statute 16 will not be applicable for Visiting/ Adjunct Faculty appointments.

(4) The Standing Committee shall consist of at least three members comprising the Director, at least one Dean (if present), and at least one other faculty member of the Institute. Till such time there are not enough senior faculty members in the Institute, faculty members from other institutes or members of the Senate may be nominated to this committee.

(5) The Standing Committee will consider the candidates based on their C.V. and other relevant information, to make its decision.

(6) After this approval by the Standing Committee, letter of appointment may be sent to the Candidate.

(7) All such offers and appointments shall be reported to the Board.

(8) These appointments will be for a limited period, not exceeding three years, and can be renewed at most once.

(9) Visiting/Adjunct faculty members shall not have any claim on the Institute with respect to staff privileges, continuing of service, or other benefits, other than those which are stated in their letter of appointment.

6. Guest Faculty Appointment.—(1) A Guest faculty is generally a person with expertise in some area who is employed elsewhere and who is given a contract by the Institute for a specific purpose like teaching a course, and for which the Institute provides and honorarium.

(2) The Director shall appoint guest faculty based on the Institute's needs and after discussing it with appropriate faculty members in the Institute. Payment to guest faculty will be as per norms fixed by the Institute, within the Board approved guidelines.

7.1 Ordinance for B. Tech Program.— General—(1) The basic structure and philosophy of a B. Tech Program is defined in Regulations for B. Tech Program, and are applicable to current B. Tech Programs and any B. Tech programs that may be introduced in future. However, a program may have additional requirements, which will be specified in regulations for that program.

(2) The Senate is the main body for all academic matters, and notwithstanding anything that has been stated in the regulations, the Senate has the right to modify/relax any of the regulations from time to time.

7.2 Academic Calendar.—(1) Each academic year shall have two regular semesters and one summer term. Most courses shall be taught in the regular semesters. The semester timeline shall be defined in the academic calendar of the Institute.

7.3 Admission.—(1) Admission to the B. Tech Program is through entrance test(s), which may be conducted by the Institute or some other, approved body. The eligibility criteria for appearing in the entrance test(s), weight assigned to the entrance test performance and other parameters, and the criteria for admission, shall be approved by the Board of Governors and announced in the admission prospectus each year.

(2) The number of admissions that can be made to any approved program of the Institute shall be as decided by the Board of Governors, and announced in the prospectus each year. The Board shall seek inputs for the same from the Senate.

(3) The reservation policy shall be decided by the Board of Governors, and shall be announced in the admission prospectus each year.

(4) Every student admitted provisionally or otherwise to any program of the Institute, shall submit, by the prescribed date, copies of the qualifying degree/provisional certificate and other such documents as prescribed by the Senate.

(5) The admission of a student may be cancelled by the Senate at any time during the program if it is found that the student had supplied some false information or suppressed relevant information while seeking admission.

(6) For admission with advanced standing, policies/ regulations shall approved by the Board.

(7) Fees for admitted students shall be as decided by Board of Governors.

7.4 Teaching and Evaluation.—(1) The medium of instruction will be English for all courses, except for courses on foreign/local languages.

(2) Each course is conducted by the assigned Instructor with the assistance of tutors and/or teaching assistants. The Instructor responsible for conducting the lecturers, tutorials, and labs, holding the tests and examinations, evaluating the performance of the students, and awarding grades at the end of the semester/summer term.

(3) A system of continuous evaluation is employed, in which, during a course, various instruments like tests, exams, assignments, projects etc. are given to assess the learning of students. All evaluations are the responsibility of the instructor of the course.

(4) At the end of the semester, based on the overall performance in the course, a letter grade is awarded to each student by the instructor. Each letter grade carries certain points which are used in the computation of the semester/overall performance.

(5) A letter grade once awarded shall not be changed unless the request is made by the Instructor of the course and is approved by the Senate.

7.5 Continuing in the Program.—(1) Students admitted to the B. Tech programs shall normally pursue the program initially allocated to them. However, the Senate may permit change of program for a limited number of students, for which it shall specify suitable regulations/ guidelines.

(2) For continuing in the undergraduate program the student has to show satisfactory academic performance as may be defined by the Senate from time to time. If the academic performance falls short, a student may be asked to repeat a year, placed under warning/probation, or his/ her program may be terminated.

7.6 Graduation Requirements and Grant of Degrees.—(1) A student becomes eligible for the award of the B. Tech degree after fulfilling all the academic and non-academic requirements prescribed by the Senate and as specified in the Regulations.

(2) The normal duration of the B. Tech program shall be four years (eight semesters), in which the student is expected to successfully complete/earn specified number of credits. A student completes/earn the credits of a course if he/she registers for the course and obtains a passing grade.

(3) A student enrolled in a B. Tech program may also graduate with Honors, provided the student also completes all the additional requirements for Honours, as specified in the regulations.

(4) A student who completes all graduation requirements is recommended by the Senate to the Board of Governors (BOG) for the award of degree in the convocation.

(5) Under exceptional circumstances, where gross violation of the graduation requirements or use of dishonest means is detected at a letter stage, the Senate may recommend to the Board of Governors to withdraw an already awarded degree.

8.1 Ordinances for M. Tech/PhD Program General.—(1) The basic structure and philosophy of M. Tech/PhD programs is defined in Regulations for M. Tech./PhD Program, and are applicable to current M. Tech/PhD programs and any M. Tech/PhD program that may be introduced in future. However, a program may have additional requirements, which will be specified in regulations for that program.

(2) The Senate is the main body for all academic matters relating to M. Tech/PhD programs, and notwithstanding anything that has been stated in the regulations, the Senate has the right to modify/relax any of the regulations from time to time.

8.2 Academic Calendar.—(1) As specified in the Ordinances for B. Tech Program.

8.3 Admission.—(1) Method of admission to the M.Tech/PhD programs shall be decided by the Senate and announced for every year.

(2) The number of admissions that can be made to any approved program of the Institute shall be as decided by the Board of Governors, and announced each year. The Board shall seek inputs for the same from the Senate.

(3) The reservation policy shall be decided by the Board of Governors, and shall be announced for each year.

(4) Every student admitted provisionally or otherwise to any program of the Institute, shall submit, by the prescribed date, copies of the qualifying degree/ provisional certificate and other such documents as prescribed by the Senate.

(5) The admission of a student may be cancelled by the Senate at a letter date if it is found that the student had supplied some false information or suppressed relevant information while seeking admission.

(6) Fees for admitted students shall be decided by Board of Governors.

8.4 Financial Assistance.—(1) Certain number of assistantships/scholarships/fellowships may be provided for PhD/M. Tech students. This number may change from year to year.

8.5 Teaching and Evaluation.—(1) As defined in Ordinances for B. Tech Programs.

8.6 Continuing in the Program.—(1) For continuing in a program the student has to show satisfactory academic performance as defined by the Senate from time to time. If the academic performance falls short, a student may be placed under warning, his/her assistantship/scholarship/ fellowship may be stopped/reduced, or his/her program may be terminated.

(2) A student may change from one program to another as provided by the regulations.

8.7 Leave.—(1) Different types of leaves and rules for availing them are as specified in the regulations.

8.8 Collaborative/Joint Programs.—(1) Rules and guidelines for participating in joint/collaborative programs shall be as defined by the Senate.

8.9 Graduation Requirements and Grant of Degrees.—(1) A student becomes eligible for the award of the M. Tech/PhD degree after fulfilling all the academic and non-academic requirements prescribed by the Senate.

(2) A student who completes all graduation requirements is recommended by the Senate to the Board of Governors (BOG) for the award of degree in the convocation.

(3) Under exceptional circumstances, where gross violation of the graduation requirements or use of dishonest means is detected at a later stage, the Senate may recommend to the Board of Governors to withdraw an already awarded degree.

MANJIT RAI ARORA, Addl. Secy. (TTE)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.